बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण क्या है?

भा.भू.प.प्रा. का अभिप्राय भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण से है, जो भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, अधिनियम 2010 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ निर्दिष्ट स्थलों पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिए सुविधाओं का विकास और प्रबंधन करता है।

2. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की उत्पत्ति क्या है?

भारत दक्षिण एशिया के सात देशों, अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है। व्यक्तियों, सामानों और वाहनों की सीमा पार आवाजाही के लिए कई निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदु हैं। कई वर्षों से, निर्दिष्ट सीमा जांच चौकियों पर अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा अक्सर क्षेत्रीय व्यापार के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक रहा है, जो पड़ोसी देशों के अंदर और बाहर आने-जाने वाले माल और यात्री दोनों की आवाजाही को बाधित करता है।

सीमा जांच चौकियों पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और भारत की भूमि सीमाओं पर सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार एक एकल समन्वय निकाय की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, सचिवों की समिति ने 2003 में एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करने की सिफारिश की थी कि सभी नियामक एजेंसियां एक ही सेनिटाइज्ड कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएं और जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निर्दिष्ट स्थानों पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिए माल गोदामों, परीक्षा शेडों, पार्किंग बे, वेब्रिज आदि जैसी संपूर्ण अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करे। सुरक्षा मंत्रीमंडल- समिति ने नवंबर 2011 में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 31.08.2010 को पारित किया गया था और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण 1.03.2012 को अस्तित्व में आया।

3. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था?

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 31.08.2010 को पारित किया गया था।

4. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया?

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण 01.03.2012 को अस्तित्व में आया।

5. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना क्या है?

कृपया भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट को देखें या https://lpai.gov.in/en/organization-chart पर क्लिक करें।

6. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है?

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

7. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि अथवा साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होता है।

8. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

9. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के कार्य क्या हैं?

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ निर्दिष्ट स्थलों पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिए सुविधाओं का विकास, स्वच्छता और प्रबंधन करने का अधिदेश दिया गया है।

अपने अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा-

(क) प्रणालियां स्थापित करना, जो सीमा पर एकीकृत जांच चौकियों पर सुरक्षा अनिवार्यताओं का पता लगाएंगी।

(ख) एकीकृत जांच चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और रेलवे के अलावा सड़कों, टर्मिनलों और सहायक भवनों की योजना, निर्माण और रखरखाव;

(ग) एकीकृत जांच चौकी पर संचार, सुरक्षा, माल की हैंडलिंग और स्कैनिंग उपकरण की योजना, खरीद, स्थापना और रखरखाव करना;

(घ) आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, कराधान प्राधिकरण, पशु और संयंत्र संगरोध, माल गोदामों, कार्गो और सामान-परीक्षा यार्ड, पार्किंग जोन, बैंकों, डाकघरों, संचार सुविधाओं, पर्यटक सूचना केंद्रों, प्रतीक्षालय, कैंटीन, जलपान–स्टॉल, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं, जो कि आवश्यक समझी जाए, प्रदान करना;

(ड) अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के साथ-साथ एकीकृत जांच चौकियों पर तैनात कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास का निर्माण करना;

(च) होटल, रेस्तरां और विश्राम कक्ष स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;

(छ) माल के भंडारण या प्रसंस्करण के लिए माल गोदामों, कंटेनर डिपो और कार्गो परिसरों की स्थापना और रखरखाव करना;

(ज) एकीकृत जांच चौकियों पर यात्रियों और अन्य व्यक्तियों के प्रयोग के लिए डाक, मुद्रा विनिमय, बीमा और टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(झ) एकीकृत जांच चौकियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना और उनसे संबंधित कानून के अनुसार वाहनों की आवाजाही, यात्रियों और सामानों के प्रवेश और निकास का विनियमन और नियंत्रण करना;

(ट) आग और अन्य खतरों की रोकथाम और नियंत्रण करना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, जैसा कि आवश्यक समझा जाएं;

(ठ) भारत सरकार के कानून, सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एकीकृत जांच चौकी पर वाहनों की आवाजाही और यात्रियों, परिवहन कर्मचारियों, हैंडलिंग एजेंटों, समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों और सामानों के प्रवेश और निकास को विनियमित और नियंत्रित करना।

(ड) कुछ समय के लिए लागू संबंधित कानून के अनुसार, एकीकृत जांच चौकियों पर विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए नियुक्त एजेंसियों के कामकाज में समन्वय स्थापित करना और सुविधा प्रदान करना;

(ढ) एकीकृत जांच चौकी के संबंध में भारत और विदेशों में परामर्शदायी सेवाएं, निर्माण या प्रबंधन सेवाएं विकसित और उपलब्ध कराना और संचालन कार्य शुरू करना;

(ण) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन अथवा इस अधिनियम द्वारा उस पर लागू किए गए कार्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करने के लिए कंपनियों से संबंधित किसी अन्य कानून के अधीन एक या एक से अधिक कंपनियां बनाना;

(त) ऐसे सभी कदम उठाना, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या लागू किसी शक्ति के प्रयोग करने या किसी कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या समीचीन हों, या उसके लिए प्रासंगिक हों: बशर्ते कि प्राधिकरण के संप्रभु कार्य, किसी निजी संस्था को न दिए गए हो।

(थ) प्राधिकरण को सौंपे गए किसी कार्यों के निर्वहन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना; और

(द) प्राधिकरण के सर्वोत्तम वाणिज्यिक हितों के लिए एकीकृत जांच चौकी पर कोई अन्य गतिविधि शुरू करना।

10. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के लिए नियम और विनियम कैसे बनाए जाते हैं?

केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। प्राधिकरण (भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकता है, जो भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप न हो।

11. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में वित्त और लेखांकन कैसे किया जाता है?

भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वित्त एवं लेखांकन किया जाता है। विवरण के लिए कृपया भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 को https://lpai.gov.in/sites/default/files/act-rules-regulations/LPAI-Act-2010 .pdf पर देखें।

12. भारत में कितने भूमि पत्तन हैं?

भारत में 9 (नौ) भूमि पत्तन हैं।

13. एकीकृत जांच चौकी, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और बॉर्डर हाट में क्या अंतर है?

एकीकृत जांच चौकी का अभिप्राय किसी ऐसे भूमि पत्तन से है, जैसा कि केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का अभिप्राय ऐसे स्थान से है जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत भूमि या अंतर्देशीय जलमार्ग से आयातित या निर्यात किए जाने वाले सामानों की निकासी के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ।

बॉर्डर हाट भारत और बांग्लादेश के बीच ठीक जीरो लाइन पर स्थित एक विशेष बाज़ार है, जहाँ आस-पास के क्षेत्र के भारतीय और बांग्लादेशी दोनों नागरिक आ सकते हैं और विक्रेताओं से सामान खरीद सकते हैं, जो दोनों देशों से एक समान संख्याओं में आते हैं।

14. भूमि पत्तनों के माध्यम से किन वस्तुओं का आयात/निर्यात किया जाता है?

प्रमुख आयातित वस्तुएं सूखे मेवे, ताजे फल, मछली और इसके उत्पाद, जूट, रेडीमेड वस्त्र, सूती कपड़े, स्टोन चिप्स, सीमेंट आदि हैं। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कॉटन फैब्रिक, वाहन चेसिस, दुपहिया वाहन, सूती वस्त्र आदि हैं। प्रत्येक एकीकृत जांच चौकी पर आयात/निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विवरण के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट https://lpai.gov.in देखें।

15. भूमि पत्तनों के माध्यम से वस्तुओं के आयात/निर्यात की प्रक्रिया क्या है?

भूमि पत्तनों के माध्यम से वस्तुओं के आयात/निर्यात की प्रक्रिया अन्य पत्तनों (समुद्री पत्तन, हवाई पत्तन) के समान है।

16. भूमि पत्तनों पर कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

भूमि पत्तनों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन, भूमि सीमा स्वास्थ्य यूनिट, प्लांट और पशु संगरोध, पार्किंग, मालगोदाम, तुला चौकी (वेटब्रिज), सीमा सुरक्षा बल, ड्यूटी मुक्त दुकानें, कैंटीन, परिवहन और विदेशी मुद्रा काउंटर आदि उपलब्ध हैं। प्रत्येक एकीकृत जांच चौकी पर उपलब्ध विस्तृत सुविधाओं के लिए कृपया https://lpai.gov.in देखें।

17. भूमि पत्तनों सुविधाओं का उपयोग करने के लिए क्या शुल्क हैं?

टैरिफ (दर सूची) के लिए कृपया https://lpai.gov.in/en/tariff-circulars पर जाएं।

18. समुद्री पत्तनों/हवाई अड्डों की तुलना में एक निर्यातक/आयातक के रूप में भूमि पत्तन क्या लाभ प्रदान करते हैं?

पड़ोसी देशों से आयात/निर्यात के लिए समुद्री पत्तन/हवाई अड्डे की तुलना में भूमि पत्तन का उपयोग करने वाले निर्यातक/आयातकों को कम भाड़ा, तीव्रगामी निकासी और माल की अंतिम मील निगरानी का लाभ प्राप्त होता है।

19. क्या भूमि पत्तनों के जरिए भी लोगों की सीमा पार आवाजाही संभव है?

हां, भूमि पत्तनों के जरिए यात्री आवाजाही संभव है।

20. क्या एकीकृत जांच चौकी डेरा बाबा नानक एक भूमि पत्तन है?

हाँ। डेरा बाबा नानक में केवल यात्रियों की आवाजाही की अनुमति है और कोई व्यापार आवाजाही नहीं की जा रही है।

21. एकीकृत जांच चौकी डेरा बाबा नानक के माध्यम से करतारपुर साहिब जाने के लिए क्या औपचारिकताएं हैं?

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://prakashpurb550.mha.gov.in देखें।

22. निकट भविष्य में आने वाली एकीकृत जांच चौकियां कौन सी हैं?

एकीकृत जांच चौकी, रुपैडिहा (उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा), एकीकृत जांच चौकी डॉकी (मेघालय-बांग्लादेश सीमा) और एकीकृत जांच चौकी सबरूम (त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा) है।

23. कितनी एकीकृत जांच चौकियों की योजना बनाई गई है?

भीटामोड़ (बिहार-नेपाल सीमा), सुनौली (उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा), बनबासा (उत्तराखंड-नेपाल सीमा), फुलबाड़ी (पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा), हिली (पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा), चंग्रबंधा (पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा), पानीटंकी (पश्चिम बंगाल-नेपाल सीमा), जयगांव (पश्चिम बंगाल-भूटान सीमा), कवरपुइछुआ (मिजोरम-बांग्लादेश सीमा), घोजाडंगा (पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा) और महादीपुर (पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा) पर एकीकृत जांच चौकियों की योजना बनाई गई है।

24. क्या मैं भूमि पत्तनों की यात्रा कर सकता हूँ?

एकीकृत जांच चौकी पर जाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिए कृपया निदेशक (संचालन) को ईमेल dir.ops-lpai@gov.in पर लिखें।

25. क्या भूमि पत्तनों के अंदर फोटोग्राफी/वीडियो/फिल्म शूटिंग की अनुमति है?

पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुमति के लिए कृपया निदेशक (संचालन) को ईमेल dir.ops-lpai@gov.in पर लिखें।

26. भूमि पत्तनों पर कार्यदिवस का समय क्या हैं?

पड़ोसी देश के समय और व्यापार और हितधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि पत्तनों के कार्यदिवस का समय अलग-अलग हैं।

27. भूमि पत्तनों तक कैसे पहुंचे?

सभी भूमि पत्तनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्गों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। विवरण के लिए वेबसाइट https://lpai.gov.in में भूमि पत्तन भाग को देखें।

28. भूमि पत्तनों पर किससे संपर्क करना है?

भूमि पत्तनों पर संबंधित भूमि पत्तनों के प्रबंधक, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। संपर्क विवरण https://lpai.gov.in/en/who-is-who पर उपलब्ध हैं।